उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-11
संख्या-714/एक-11-2020-रा0-11
लखनऊ: दिनांक: 23 अगस्त, 2020

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-195/एक-11-2020-रा0-11, दिनांक 24 मार्च, 2020 द्वारा कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित करते हुए कोरोना वायरस के उपचार और रोकथाम के लिये आपात सामग्री-मेडिकल इक्यूपमेंट एण्ड कन्ज्यूमेबल्स के क्रय की शिथिलता 01 माह के लिये प्रदान की गयी थी। साथ ही अधिसूचना संख्या-199/एक-11-2020-रा0-11, दिनांक 27 मार्च, 2020 द्वारा प्रोक्योरमेंट आफ सर्विसेज (सेवाओं) को भी उक्त व्यवस्था में सम्मिलित किया गया। तदुपरांत अधिसूचना संख्या-317/एक-11-2020-रा0-11, दिनांक 04 मई, 2020 द्वारा आपात सामग्री-मेडिकल इक्यूपमेंट एण्ड कन्ज्यूमेबल्स के क्रय एवं प्रोक्योरमेंट आफ सर्विसेज (सेवाओं) की शिथिलता 02 माह अर्थात दिनांक 24 अप्रैल, 2020 से दिनांक 23 जून, 2020 तक बढ़ायी गयी थी।

2. कोरोना वायरस महामारी की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत अधिसूचना संख्या-195/एक-11-2020 -रा0-11, दिनांक 24 मार्च, 2020 तथा यथासंशोधित अधिसूचना संख्या-199/एक-11-2020-रा0-11, दिनांक 27 मार्च, 2020 तथा अधिसूचना संख्या-317/एक-11-2020-रा0-11, दिनांक 04 मई, 2020 के क्रम में कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिये आपात सामग्री-मेडिकल इक्यूपमेंट एण्ड कन्ज्यूमेबल्स के क्रय एवं प्रोक्योरमेंट आफ सर्विसेज (सेवाओं) की शिथिलता अधिसूचना जारी होने की तिथि से 02 माह अर्थात दिनांक 23.08.2020 से दिनांक 22.10.2020 तक बढ़ायी जाती है।

संजय गोयल,
सचिव।

संख्या-714(1)/एक-11-2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
10. राजस्व अनुभाग-10/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in